राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 177/2015

रामप्यारी पत्नी इन्द्राज उम्र 70 वर्ष जाति जाट निवासी ढाणी सुनारली तन् लोयल तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

..........वादिया

ब–ना–म

1. चांदा पत्नी चन्दगी उम्र 68 वर्ष जाति जाट निवासी ढाणी सुनारली तन् लोयल तहसील
2. शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा जसरापुर जरिये शाखा प्रबंधक
3. राजस्थान सरकार जरिये भू स्वामी तहसीलदार, खेतड़ी।

.........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

–: निर्णय :–

दिनांक 07–10–2022

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09–05–2017 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम लोयल तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता सं. 194 खसरा नंबर 229, 244, 245, 246, 247, 341 कुल किता 6 रकबा 6.36 है. भूमि में वादिया का 1/2 हिस्से की भूमि का खाता अलग कायम कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांक .../भू.अ./2017/1973 दिनांक 14.12.2017 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:43:57 IST
Reason: SelfAttested

बहस विद्वान अधिवक्ता वादिया विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादिया ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14–12–2017 के अनुसार अंतिम

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14–12–2017 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–2'' व ''ब'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14–12–2017 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–2'' व ''ब'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14–12–2017 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–2'' व ''ब'') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14–12–2017 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–2'' व ''ब'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–''ब'' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07–10–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:43:57 IST
Reason: SelfAttested